न्यायालय– विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.) इन्दौर (म0प्र0)
(समक्ष–रूपम वेदी)

जमानत आवेदन पत्र क्रमांक – 990/2026
सी.एन.आर.नं0 एमपी0901–021530–2026
अपराध क्रं.– RC0082025A0022

रूपलाल मीणा पिता मुरारी लाल,
निवासी–बामनवान पत्ती कलन, सवाई माधौपुर, राजस्थान।
..........आवेदक/आरोपी

विरूद्ध

सी.बी.आई. एसीबी भोपाल
........अनावेदक/राज्य

जमानत आवेदन पत्र क्रमांक – 991/2026
सी.एन.आर.नं0 एमपी0901–021522–2026
अपराध क्रं.– RC0082025A0022

मुनेश कुमार मीणा पिता राम नाथ मीणा,
निवासी–ग्राम व पोस्ट हीरापुर, नारायणपुरा टटवारा, जिला सवाई माधौपुर, राजस्थान।
..........आवेदक/आरोपी

विरूद्ध

सी.बी.आई. एसीबी भोपाल
........अनावेदक/राज्य

जमानत आवेदन पत्र क्रमांक – 992/2026
सी.एन.आर.नं0 एमपी0901–021512–2026
अपराध क्रं.– RC0082025A0022

रवि कुमार मीणा पिता गोली राम मीणा,
निवासी–ग्राम व पोस्ट खुंजेला, तहसील नडोती, जिला करौली, राजस्थान।
..........आवेदक/आरोपी

विरूद्ध

सी.बी.आई. एसीबी भोपाल
........अनावेदक/राज्य

जमानत आवेदन पत्र क्रमांक – 993/2026
सी.एन.आर.नं0 एमपी0901–021509–2026
अपराध क्रं.– RC0082025A0022

शिवकेश मीणा पिता काडू राम मीणा,
निवासी–ग्राम व पोस्ट मोहनपुरा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली, राजस्थान।

..........आवेदक/आरोपी

विरूद्ध

सी.बी.आई. एसीबी भोपाल

........अनावेदक/राज्य

जमानत आवेदन पत्र क्रमांक – 994/2026
सी.एन.आर.नं0 एमपी0901–021505–2026
अपराध क्रं.– RC0082025A0022

आलोक कुमार मीणा पिता उदय सिंह मीणा, निवासी– ग्राम संकदा, पोस्ट मोथियापुर, तहसील–हिंडोन सिटी, जिला करौली, राजस्थान

..........आवेदक/आरोपी

विरूद्ध

सी.बी.आई. एसीबी भोपाल

........अनावेदक/राज्य

जमानत आवेदन पत्र क्रमांक – 995/2026
सी.एन.आर.नं0 एमपी0901–021500–2026
अपराध क्रं.– RC0082025A0022

आशीष कुमार मीणा पिता हरजू लाल मीणा,
निवासी– ग्राम व पोस्ट सेवा, तहसील वजीरपुर एसडब्ल्यूएम, जिला सवाई माधौपुर, राजस्थान।

..........आवेदक/आरोपी

विरूद्ध

सी.बी.आई. एसीबी भोपाल

........अनावेदक/राज्य

<u>जमानत आवेदन पत्र कमांक – 996/2026</u>
<u>सी.एन.आर.नं0 एमपी0901–021497–2026</u>
<u>अपराध कं.– RC0082025A0022</u>

कुमार निखिल पिता बासुदेव पाण्डे,
निवासी– क्वाटर नं. 02, पी.एच–3 के सामने, हॉस्पीटल चौक के पास, आरपीसीएयू पूसा, समस्तीपुर, बिहार।

..........आवेदक/आरोपी

<u>विरूद्ध</u>

सी.बी.आई. एसीबी भोपाल

........अनावेदक/राज्य

<u>जमानत आवेदन पत्र कमांक – 997/2026</u>
<u>सी.एन.आर.नं0 एमपी0901–021495–2026</u>
<u>अपराध कं.– RC0082025A0022</u>

विजय सिंह मीणा पिता भगवान सहाय मीणा, निवासी–ग्राम व पोस्ट उकरूंड, तहसील महावा, जिला दौसा, राजस्थान।

..........आवेदक/आरोपी

<u>विरूद्ध</u>

सी.बी.आई. एसीबी भोपाल

........अनावेदक/राज्य

<u>जमानत आवेदन पत्र कमांक – 998/2026</u>
<u>सी.एन.आर.नं0 एमपी0901–021493–2026</u>
<u>अपराध कं.– RC0082025A0022</u>

सुरेश चंद सैनी पिता रामप्रसाद सैनी,
निवासी–ग्राम नांगल सुमेर, पोस्ट मंडावर, तहसील महावा, जिला दौसा, राजस्थान।

..........आवेदक/आरोपी

<u>विरूद्ध</u>

सी.बी.आई. एसीबी भोपाल

........अनावेदक/राज्य

<u>जमानत आवेदन पत्र क्रमांक – 999 / 2026</u>
<u>सी.एन.आर.नं0 एमपी0901–021492–2026</u>
<u>अपराध क्रं.– RC0082025A0022</u>

जितेन्द्र सिंह पिता रमन लाल,
निवासी–मिलाकपुर, भरतपुर, राजस्थान।

..........आवेदक / आरोपी

<u>विरूद्ध</u>

सी.बी.आई. एसीबी भोपाल

........अनावेदक / राज्य

<u>जमानत आवेदन पत्र क्रमांक – 1000 / 2026</u>
<u>सी.एन.आर.नं0 एमपी0901–021489–2026</u>
<u>अपराध क्रं.– RC0082025A0022</u>

विमलेश मीणा पिता कैलाश चंद मीणा,
निवासी– बामनवास पत्ती खुर्द, सवाई माधौपुर,
राजस्थान।

..........आवेदक / आरोपी

<u>विरूद्ध</u>

सी.बी.आई. एसीबी भोपाल

........अनावेदक / राज्य

<u>24.03.2026</u>

आवेदकगण रूपलाल मीणा का नियमित जमानत आवेदन क्रमांक–990 / 2026, मुनेश मीणा का नियमित जमानत आवेदन क्रमांक–991 / 2026, रवि कुमार का नियमित जमानत आवेदन क्रमांक–992 / 2026, शिवकेश मीणा का नियमित जमानत आवेदन क्रमांक–993 / 2026, आलोक कुमार मीणा का नियमित जमानत आवेदन क्रमांक–994 / 2026, आशीष कुमार मीणा का नियमित जमानत आवेदन क्रमांक–995 / 2026, कुमार निखिल का नियमित जमानत आवेदन क्रमांक–996 / 2026, विजय सिंह मीणा का नियमित जमानत आवेदन क्रमांक–997 / 2026,

सुरेशचंद्र सेनी का नियमित जमानत आवेदन क्रमांक–998/2026, जितेन्द्र सिंह का नियमित जमानत आवेदन क्रमांक–999/2026 व विमलेश मीणा का नियमित जमानत आवेदन क्रमांक–1000/2026 के जमानत आवेदन पत्रों का एक साथ इस आदेश द्वारा निराकरण किया जा रहा है।

आवेदकगण द्वारा श्री निखिल कुमार सिंह अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक सी.बी.आई. द्वारा श्री चंद्रपाल लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण सी.बी.आई. की ओर से केस डायरी प्रस्तुति एवं जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

सी.बी.आई. के अपराध क्रं. आरसी0082025ए0022 दिनांक 31.12.2025, अंतर्गत धारा 120बी, 419, 420 इजाफा धारा 467, 468, 471 भादवि एवं धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ए) पी. सी. एक्ट की केस डायरी प्रस्तुत की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	विवरण	जानकारी
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक	आरसी0082025ए0022
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	31.12.2025
3	आरक्षी केन्द्र	सीबीआई एसीबी भोपाल
4	अपराध की धारायें	धारा 419, 420 सहपठित 120बी इजाफा धारा 467, 468, 471 भादवि एवं धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
5	आरोपी की गिरफ्तारी दिनांक	23.02.2026
6	अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	—
7	दांडिक प्रकरण क्रमांक	—
8	न्यायालय	—

9	आवेदक के अनुसार जमानत आवेदन का क्रम	द्वितीय नियमित जमानत आवेदन पत्र

आवेदकगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उक्त जमानत आवेदन द्वितीय जमानत आवेदन है, त्रुटिवश शपथ पत्रों में व आवेदन के अंदर प्रथम जमानत आवेदन लेख हो गया है, इस कारण उसे द्वितीय जमानत आवेदन पढ़ा जावे। चूंकि, प्रथम नियमित जमानत आवेदन पूर्व अधिवक्ता द्वारा बल न देने से दिनांक 27.02.2026 को निरस्त किया गया था, इस कारण उक्त जमानत आवेदन पत्रों को द्वितीय जमानत आवेदन पढ़ा जाये।

सी.बी.आई. के लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्रों को द्वितीय जमानत आवेदन पढ़े जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताये जाने से आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को द्वितीय जमानत आवेदन पत्र के रूप में विचार किया जाये।

उभयपक्षों को आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत पृथक–पृथक द्वितीय जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. पर सुना गया तथा आवेदकगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने तर्क के दौरान लिखित तर्क प्रस्तुत किये, नकल सीबीआई लोक अभियोजक को दी गई।

आवेदकगण की ओर से द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. का होना बताया गया है, जिसके समर्थन में रूपलाल मीणा की ओर से उसके रिश्तेदार आशीष कुमार मीणा, मुनेष मीणा की ओर से उसके भाई दिनेश कुमार मीणा, रवि कुमार मीणा की ओर से उसकी पत्नी विशाखा मीणा, शिवकांत मीणा की ओर से उसके भाई योगेश कुमार मीणा, आलोक कुमार मीणा की ओर से उसके भाई पंकज कुमार मीणा, आशीष कुमार मीणा की ओर से उसके भाई राजकुमार मीणा, कुमार निखिल की ओर से उसके भाई नारायण नरोत्तम, विजय सिंह मीणा की ओर से उसके रिश्तेदार महेन्द्र कुमार मीणा, सुरेशचंद्र सेनी की ओर से उसके भाई जितेन्द्र कुमार सेनी व जितेन्द्र सिंह की ओर से उसके पिता रमनलाल एवं विमलेश मीणा की ओर से उसकी पत्नी कविता मीणा ने अपने

शपथ पत्र प्रस्तुत किये है, जिनका कोई खण्डन सी.बी.आई. की ओर से नहीं किया गया है।

आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत पृथक–पृथक जमानत आवेदन पत्रों के समान तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण ने कोई अपराध नहीं किया है, उनका पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है, उन्हें अभिरक्षा में रखकर पूछताछ किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें प्रकरण में परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी, जिसे आपराधिक अनुसंधान का कोई अनुभव नहीं है, उसके द्वारा तैयार असत्यापित रिपोर्ट के आधार पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में असत्य रूप से संलिप्त किया गया है। प्रकरण में आवेदकगण की गिरफ्तारी धारा 35 बी.एन.एस.एस. के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होकर विधि विरूद्ध है, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **<u>सतेंद्र कुमार अंतिल वि. सीबीआई (2022) 10 एससीसी 51</u>** में निर्देशित किया गया है। प्रारंभ में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 419, 420 सहपठित 120बी भादवि एवं धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में पंजीबद्ध की गई थी, जिसमें विवेचना के दौरान धारा 467, 468, 471 भादवि का इजाफा असत्य रूप से एवं यात्रिकी आधार पर किया गया है, जबकि उक्त अपराध के संबंध में कोई भी साक्ष्य एकत्रित नहीं की गई है। प्रकरण में आवेदकगण पर मुख्य रूप से यह आक्षेप है कि किसी अन्य व्यक्ति (सॉल्वर) ने आवेदकगण के स्थान पर परीक्षा दी है। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान दिनांक 09.01.2026 को सर्च की गई थी, जिसमें आवेदकगण के विरूद्ध कोई सामग्री नहीं मिली थी। आवेदकगण ने धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. के नोटिस के पालन में सी.बी.आई. के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में पूर्ण सहयोग किया है। इसी प्रकार आवेदकगण को नोटिस जारी किये जाने पर वे दिनांक 23.02.2026 को सी.बी.आई. के समक्ष उपस्थित हुए, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें दिनांक 24.02.2026 से 25.02.2026 तक पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया, उसके बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है। प्रकरण में आवेदकगण के विरूद्ध कोई सामग्री सी.बी.आई. एजेंसी ने जप्त नहीं की है, न ही आवेदकगण को अभिरक्षा में रखकर कोई जप्ती की जानी है। आवेदकगण नियम, कानून का पालन करने वाला सभ्य नागरिक है, जब उन्हें प्रकरण की जानकारी हुई तो उन्होंने अनुसंधान में पूर्ण सहयोग किया है।

आवेदकगण की ओर से आवेदन के समर्थन में यह भी तर्क किया गया है कि प्रारंभ में आवेदकगण पर अधिरोपित अपराध 07 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय था, परंतु बाद में अपराध अंतर्गत धारा 467 भा.द.वि. का इजाफा इस आधार पर किया गया है कि उन्होंने एडमिट कार्ड की जालसाजी की है, जो कि मूल्यवान प्रतिभूति की श्रेणी में नहीं आती है। इस संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत **राजेश धाकड़ वि. यूनियन ऑफ इंडिया सीआरए नं. 5767/2021** में मार्कशीट की जालसाजी को मूल्यवान प्रतिभूति न मानते हुए, विधि प्रतिपादित की गई है। आवेदकगण को संपूर्ण सामग्री/दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया है, जिस पर सी.बी.आई. का मामला निर्भर है, मात्र कुछ कथन दिये गये हैं, जो विधि अनुसार मान्य नहीं है, इस संबंध में न्यायदृष्टांत **खुदीराम दास वि. पश्चिम बंगाल राज्य, 1975 एआईआर 550** में विधि प्रतिपादित की गई है। प्रकरण में आवेदकगण की गिरफ्तारी धारा 35 बी.एन.एस.एस. के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होकर विधि विरूद्ध है, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सतेंद्र कुमार अंतिल वि. सीबीआई (2022) 10 एससीसी 51** में विधि प्रतिपादित की गई है। जमानत के प्रक्रम पर साक्ष्य से छेड़छाड़ की संभावना पर विचार किया जाना आवश्यक है। आवेदकगण की बायोमेट्रिक डिटेल मिसमेच होना आई.बी.पी.एस. द्वारा आयोजित परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाया गया है, जिससे संबंधित संपूर्ण रिकार्ड आई.बी.पी.एस. और सी.बी.आई. के पास है तथा अन्य साक्ष्य जैसे बायोमेट्रिक एवं फोटोग्राफ, इलेक्ट्रोनिक दस्तावेज हैं, जो सी.बी.आई. के पास हैं, जिसमें आवेदक द्वारा छेड़छाड़ किये जाने की कोई संभावना नहीं है, इस संबंध में न्यायदृष्टांत **महाराष्ट्र राज्य वि. नैनमल पुंजाजी शाह (1969) 3 एससीसी 904** में विधि प्रतिपादित की गई है। आवेदकगण ने अनुसंधान में पूर्ण सहयोग किया है, ऐसी कोई परिस्थिति अभिलेख पर नहीं है कि उन्हें अभिरक्षा में रखकर पूछताछ की जाये। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **बिजेन्दर वि. हरियाणा राज्य एसएलपी (कि.) नं. 1079/2024** में विधि प्रतिपादित की गई है। आवेदकगण ने धारा 35 बी.एन.एस.एस. के नोटिस के पालन में सी.बी.आई. के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में पूर्ण सहयोग किया है। आवेदकगण एम.पी.जी.बी. के निलंबित कर्मचारी है। उक्त निलंबन के विरूद्ध वह सक्षम न्यायालय में जाना चाहते हैं। आवेदकगण पर आरोपित अपराध अधिकतम 07 वर्ष के कारावास से दंडनीय है, उक्त आधारों पर आवेदकगण के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। घटना के

समय आवेदकगण के लोक सेवक नहीं होने से धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अपराध उन पर नहीं बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के लगभग ढाई माह बीत जाने के पश्चात् भी सी.बी.आई. किसी लोक सेवक के अपराधिक षड्यंत्र में संलिप्त होने के बिंदु की जांच नहीं कर पाई है, जिसके अभाव में सी.बी.आई. को अनुसंधान का क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रकरण में आवेदकगण की गिरफ्तारी का कारण एक समान है कि उन्होंने दस्तावेजों की जालसाजी कर अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा में बैठाया और स्वयं नौकरी पाई, परंतु प्रत्येक आवेदक को उनकी विशेष भूमिका या उनके कृत्य के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **प्रबीर पुरकायस्था वि स्टेट (एनसीटी ऑफ दिल्ली) (2024) 8 एससीसी 254** में विधि प्रतिपादित की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''बेल नियम है, जेल अपवाद है'' जमानत के प्रक्रम पर आरोपी की विचारण में उपस्थिति, साक्ष्य और गवाहों को छेड़छाड़ से बचाने की संभावना पर विचार करना होता है। जमानत के प्रक्रम पर आवेदकगण के फरार होने की, साक्ष्य/गवाहों को छेड़छाड़/प्रभावित करने की तथा आवेदकगण को जेल में रखने से शासन का क्या हित है, इन पर विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सतेंद्र कुमार अंतिल वि. सीबीआई (2022) 10 एससीसी 51** में विधि प्रतिपादित की गई है। आवेदक को निरोध में रखना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत दिये गये मौलिक अधिकार से आवेदकगण को वंचित नहीं किया जा सकता है। आवेदकगण द्वारा अनुसंधान में सहयोग किये जाने को उसके द्वारा आत्म–अपराध किया जाना नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **संतोष वि. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2017) 9 एससीसी 714** में दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त आवेदकगण के कथन लेखबद्ध किये जा चुके हैं, इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य सी.बी.आई. के पास सुरक्षित है, अनुसंधान और विचारण में सहयोग करने हेतु आवेदकगण तत्पर है। धारा 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आरोपीगण का घटना के समय एक लोक सेवक होना अनिवार्य है। मैचिंग एवं मिसमैचिंग बायोमेट्रिक डाटा वर्ष 2022 में रिकार्ड किया गया था, जिनकी एफ.एस.एल./सी.एफ.एस.एल. से प्राप्त रिपोर्ट भी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, बायोमेट्रिक मिसमेच आईबीपीएस अथवा टी.सी.एस. का टेक्निकल एरर हो सकता है, इस तथ्य को सी.बी.आई. ने अनदेखा कर दिया है। घटना के

समय आवेदकगण लोक सेवक नहीं होने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का आरोप उस पर नहीं बनता है, जिससे सी.बी.आई. को आवेदक के विरूद्ध मामले में अनुसंधान का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त सी.बी.आई. आवेदक के विरूद्ध प्रथमदृष्टया मामला स्थापित करने में भी असफल रही है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **स्टेट द्वारा एस.पी. द्वारा एसपीई, सीबीआई वि. उत्तमचंद्र बोहरा एसएलपी (कि.) 9608/2021** एवं न्यायदृष्टांत **पी.नल्लम्मल वि. स्टेट द्वारा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस दिनांक 09. 08.1999** में विधि प्रतिपादित की गई है। आवेदकगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है। अतः आवेदकगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया है। अपने तर्क के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत सतेन्द्र कुमार अंटिल वि. सीबीआई एसएलपी क्रिमिनल क्रमांक 5191/2021 में पारित आदेश दिनांक 15.01.2026, संजय चंद्रा वि. सीबीआई (2012) 1 एससीसी 40 एवं माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की क्रिमिनल अपील क्रमांक 5767/2021 राजेश धाकड़ वि. यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेश दिनांक 25.11.2025 प्रस्तुत किया है।

आवेदक रूपलाल मीणा की ओर से आवेदन में उपर वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त उल्लेख किया है कि वह म. प्र. रूरल ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट के रूप में ज्वाईन किया था तथा लगभग 04 वर्षों से बैंक के हित में निष्ठापूर्वक अपना कार्य किया है तथा उसके पास पासपोर्ट नहीं है, राजस्थान का स्थायी निवासी है तथा उसकी संपत्ति राजस्थान में स्थित है, उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। उसके दो छोटे बच्चे हैं जो क्रमशः तीन व दो वर्ष के हैं उसके माता–पिता उसके साथ निवास करते है, जो कि कई बीमारियों से पीड़ित है, उस पर अपने माता–पिता, बच्चों व पत्नी के देखरेख की जिम्मेदारी है। आवेदक परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। यदि उसे जमानत पर नहीं छोड़ा गया तो आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायेगा।

आवेदक मुकेश कुमार मीणा की ओर से आवेदन में उपर वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त उल्लेख किया है कि वह म. प्र. रूरल ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट के रूप में ज्वाईन किया था तथा लगभग 04 वर्षों से बैंक के हित में निष्ठापूर्वक अपना कार्य किया है तथा उसके पास पासपोर्ट नहीं है,

राजस्थान का स्थायी निवासी है तथा उसकी संपत्ति राजस्थान में स्थित है, उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। उस पर अपने माता–पिता, पत्नी व एक साल के बच्चे के भरण–पोषण की जिम्मेदारी है। आवेदक परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। यदि उसे जमानत पर नहीं छोड़ा गया तो आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायेगा।

आवेदक रवि कुमार मीणा की ओर से आवेदन में उपर वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त उल्लेख किया है कि वह म. प्र. रूरल ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट के रूप में ज्वाईन किया था तथा लगभग 04 वर्षों से बैंक के हित में निष्ठापूर्वक अपना कार्य किया है तथा उसके पास पासपोर्ट नहीं है, राजस्थान का स्थायी निवासी है तथा उसकी संपत्ति राजस्थान में स्थित है, उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अस्थमा की बीमारी से पीड़ित है तथा अपनी माता व पत्नी एवं बच्चे के साथ निवास करता है। आवेदक एकमात्र अपने परिवार का कर्ता है, उस पर अपने परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी है। उसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायेगा।

आवेदक शिवकेश मीणा की ओर से आवेदन में उपर वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त उल्लेख किया है कि वह म. प्र. रूरल ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट के रूप में ज्वाईन किया था तथा लगभग 04 वर्षों से बैंक के हित में निष्ठापूर्वक अपना कार्य किया है तथा उसके पास पासपोर्ट नहीं है, राजस्थान का स्थायी निवासी है तथा उसकी संपत्ति राजस्थान में स्थित है, उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक की पत्नी ने 10 दिन पहले ही बच्ची को जन्म दिया है तथा एक अन्य बच्चा 02 वर्ष का है। आवेदक पर उसके माता–पिता, पत्नी व बच्चे आश्रित हैं। आवेदक एकमात्र परिवार का कमाने वाला व्यक्ति है। यदि उसे अभिरक्षा में रखा जाता है तो उसके परिवार पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायेगा।

आवेदक आलोक कुमार मीणा की ओर से आवेदन में उपर वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त उल्लेख किया है कि वह म. प्र. रूरल ग्रामीण बैंक में ऑफिसर स्केल–1 के रूप में ज्वाईन किया था तथा लगभग 04 वर्षों से बैंक के हित में निष्ठापूर्वक अपना कार्य किया है तथा उसके पास पासपोर्ट नहीं है, राजस्थान का स्थायी निवासी है तथा उसकी संपत्ति राजस्थान

में स्थित है, उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक के साथ उसकी पत्नी, 03 वर्ष की बच्ची व माता निवास करते हैं। आवेदक को पथरी की बीमारी है। आवेदक एकमात्र परिवार का कमाने वाला व्यक्ति है। यदि उसे अभिरक्षा में रखा जाता है तो उसके परिवार पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायेगा।

आवेदक आशीष कुमार मीणा की ओर से आवेदन में उपर वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त उल्लेख किया है कि वह म. प्र. रूरल ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट के रूप में ज्वाईन किया था तथा लगभग 04 वर्षों से बैंक के हित में निष्ठापूर्वक अपना कार्य किया है तथा उसके पास पासपोर्ट नहीं है, बिहार का स्थायी निवासी है तथा उसकी संपत्ति बिहार में स्थित है, उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक व उसके माता–पिता को कई बीमारियों है जैसे– पैरालेसिस आ चुका है। आवेदक की पत्नी व नवजात बच्चा आवेदक पर आश्रित हैं। आवेदक एकमात्र परिवार का कमाने वाला व्यक्ति है। यदि उसे अभिरक्षा में रखा जाता है तो उसके परिवार पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायेगा।

आवेदक कुमार निखिल की ओर से आवेदन में उपर वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त उल्लेख किया है कि वह म. प्र. रूरल ग्रामीण बैंक में ऑफिसर स्केल–2 के रूप में ज्वाईन किया था तथा लगभग 04 वर्षों से बैंक के हित में निष्ठापूर्वक अपना कार्य किया है तथा उसके पास पासपोर्ट नहीं है, बिहार का स्थायी निवासी है तथा उसकी संपत्ति बिहार में स्थित है, उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक की गर्भवती पत्नी एवं एक वर्ष का बच्चा उस पर आश्रित हैं। आवेदक की पत्नी वर्तमान में गर्भवती है, जिसकी देखरेख करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है तथा आवेदक एकमात्र परिवार का कमाने वाला व्यक्ति है। यदि उसे अभिरक्षा में रखा जाता है तो उसके परिवार पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायेगा एवं उसकी गर्भवती पत्नी की देखरेख करने वाला कोई नहीं होने से उसके परिवार में संकट उत्पन्न हो जायेगा।

आवेदक विजय सिंह मीणा की ओर से आवेदन में उपर वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त उल्लेख किया है कि वह म. प्र. रूरल ग्रामीण बैंक में ऑफिसर स्केल–1 के रूप में ज्वाईन किया था तथा लगभग 04 वर्षों से बैंक के हित में निष्ठापूर्वक

अपना कार्य किया है तथा उसके पास पासपोर्ट नहीं है, राजस्थान का स्थायी निवासी है तथा उसकी संपत्ति राजस्थान में स्थित है, उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक के पिता अस्थमा से पीड़ित है एवं उसकी पत्नी और बच्चे की देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है तथा उसकी तीन बहिनें व भाई की भी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है। आवेदक एकमात्र परिवार का कमाने वाला व्यक्ति है। यदि उसे अभिरक्षा में रखा जाता है तो उसके परिवार पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायेगा।

आवेदक सुरेशचंद्र सेनी की ओर से आवेदन में उपर वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त उल्लेख किया है कि वह म. प्र. रूरल ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट के रूप में ज्वाईन किया था तथा लगभग 04 वर्षों से बैंक के हित में निष्ठापूर्वक अपना कार्य किया है तथा उसके पास पासपोर्ट नहीं है, राजस्थान का स्थायी निवासी है तथा उसकी संपत्ति राजस्थान में स्थित है, उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक की पत्नी व दो बच्चे उस पर आश्रित हैं। आवेदक एकमात्र परिवार का कमाने वाला व्यक्ति है। यदि उसे अभिरक्षा में रखा जाता है तो उसके परिवार पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायेगा।

आवेदक जितेन्द्र सिंह की ओर से आवेदन में उपर वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त उल्लेख किया है कि वह म. प्र. रूरल ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट के रूप में ज्वाईन किया था तथा लगभग 04 वर्षों से बैंक के हित में निष्ठापूर्वक अपना कार्य किया है तथा उसके पास पासपोर्ट नहीं है, राजस्थान का स्थायी निवासी है तथा उसकी संपत्ति राजस्थान में स्थित है, उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक पर अपने माता–पिता की जिम्मेदारी है, उसके माता–पिता वृद्ध होने से उस पर आश्रित हैं। आवेदक एकमात्र परिवार का कमाने वाला व्यक्ति है। यदि उसे अभिरक्षा में रखा जाता है तो उसके परिवार पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायेगा।

आवेदक विमलेश मीणा की ओर से आवेदन में उपर वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त उल्लेख किया है कि वह म. प्र. रूरल ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट के रूप में ज्वाईन किया था तथा लगभग 04 वर्षों से बैंक के हित में निष्ठापूर्वक

अपना कार्य किया है तथा उसके पास पासपोर्ट नहीं है, राजस्थान का स्थायी निवासी है तथा उसकी संपत्ति राजस्थान में स्थित है, उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक की माता उस पर आश्रित है तथा उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। आवेदक एकमात्र परिवार का कमाने वाला व्यक्ति है। यदि उसे अभिरक्षा में रखा जाता है तो उसके परिवार पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायेगा।

सी.बी.आई. की ओर से लोक अभियोजन ने जमानत आवेदन पत्रों के विरोध में तर्क किया है कि सीबीआई की ओर से बायोमेट्रिक सत्यापन दिनांक 06.02.2026 को कराया गया, जिसमें आरोपीगण/आवेदकगण का बायोमट्रिक मिसमेच होना पाया गया है, जिससे आवेदकगण द्वारा स्वयं के स्थान पर अन्य व्यक्ति के माध्यम से परीक्षा दिया जाना प्रमाणित होता है। आवेदकगण द्वारा बेईमानीपूर्वक धोखाधड़ी किये जाने के आशय से फर्जी दस्तावेजों का निर्माण कर, उनके आधार पर सर्विस में नियुक्ति प्राप्त की है, जिससे आवेदकगण के विरूद्ध धारा 467, 468, 471 भादस का इजाफा किया गया है। प्रकरण में विवेचना जारी है, आवेदक के स्थान पर परीक्षा देने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी किया जाना शेष है। यदि आवेदकगण को जमानत का लाभ दिया गया तो उनके स्थान पर परीक्षा देने वाले व्यक्ति फरार हो जायेंगे और साक्ष्य को प्रभावित करेंगे। अतः आवेदकगण/आरोपीगण पर आरोपित अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त किया जावे।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के 19 बैंक अधिकारियों को दिनांक 24.12.2025 को सस्पेंड किया गया है, जो कि वर्ष 2020–2022 के दौरान आई.बी.पी.एस. द्वारा आयोजित की गई परीक्षा से संबंधित फ्रोड किये जाने से संबंधित है। फ्रोड बायोमेट्रिक टेक्नॉलोजी के माध्यम से सामने आया, जिसमें अज्ञात सोल्वर्स/प्रतिरूपण के द्वारा परीक्षा दिया जाना एवं उसके पश्चात् वास्तविक आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक में नियुक्त किया जाना पाया गया। मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा 14 संदिग्ध बैंक अधिकारियों के बायोमेट्रिक डाटा एकत्रित किये गये, जिनका मिलान आई.बी.पी.एस. द्वारा एकत्रित किये गये बायोमेट्रिक डाटा से किया गया, जो मिसमेच होना पाया गया। उक्त इनफोरमेशन

के आधार पर सी.बी.आई. एसीबी भोपाल में अपराध क्रमांक आरसी0082025ए0022, दिनांक 31.12.2025, अंतर्गत धारा 120बी, 419, 420 भा.द.सं. एवं धारा 13(2) सहपठित धारा 13 (1)(ए) पी.सी. एक्ट में आवेदकगण तथा अज्ञात लोक सेवकों के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आवेदकगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर आवेदकगण का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया एवं तत्पश्चात् न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाकर जेल भेजा गया है।

आवेदकगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क किया है कि आवेदकगण को सी.बी.आई. द्वारा सूचना पत्र दिये जाने पर वह कई बार सी.बी.आई. कार्यालय में उपस्थित हुए थे एवं उन्होंने पूर्ण सहयोग विवेचना में किया था, किंतु सी.बी.आई. द्वारा पुनः दिनांक 23.02.2026 को आवेदकगण को सूचना पत्र देकर पूछताछ हेतु सी.बी.आई. कार्यालय तलब किया था, जिसके पालन में आवेदकगण सी.बी.आई. कार्यालय में उपस्थित हुए थे तथा सी.बी.आई. द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, जबकि आवेदकगण ने सी.बी.आई. द्वारा जब–जब सूचना पत्र दिया था, उनके द्वारा विवेचना में सहयोग किये जाने हेतु उपस्थित हुए थे। आवेदकगण की विवेचना में कोई आवश्यकता नहीं है तथा कोई जप्ती भी होना शेष नहीं है। आवेदकगण को झूंठा फंसाया गया है। ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जो कि आवेदकगण प्रभावित कर सकें। सी.बी.आई. के द्वारा उनके आधिपत्य में सभी इलेक्ट्रोनिक दस्तावेज है, जिनमें आवेदकगण हेरफेर नहीं कर सकते हैं। आवेदकगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया है।

सी.बी.आई. की ओर से मुख्य रूप से तर्क किया गया है कि आवेदकगण द्वारा स्वयं के स्थान पर अन्य व्यक्ति को परीक्षा में बिठाकर योग्य परीक्षार्थियों के अधिकार पर अतिक्रमण किया है तथा विवेचना अभी लंबित है। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर के एम.सी.आर.सी. क्रमांक 5371/2026 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2026 के अनुसार सह आरोपी भवानी सिंह मीणा का जमानत आवेदन निरस्त किया गया है, जिसकी प्रति नेट से निकालकर तर्क के दौरान प्रस्तुत की है।

आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों का परिशीलन किया गया तथा केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 419, 420, 467, 468, 471 एवं धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध का आरोप है। आवेदकगण की ओर से धारा 467 भादवि के अपराध के तथ्य आरोपीगण के विरूद्ध आकर्षित नहीं होने संबंधी तर्क किये गये हैं। इस संबंध में जमानत के स्तर पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। आवेदकगण पर उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा में बैठाया जाकर मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने का आरोप है। आवेदकगण ने न केवल अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर बिठाकर परीक्षा दिलवाई है, बल्कि उनके द्वारा एक पात्र प्रार्थी/व्यक्ति का अधिकार को प्रभावित किया है। प्रकरण में अभी विवेचना की जा रही है, सीबीआई के द्वारा जिन व्यक्तियों को आवेदकगण ने अपने स्थान पर परीक्षा में बिठाया था, उनकी गिरफ्तारी होना शेष बताया है। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर की एम.सी.आर.सी. नं. 5371/2026 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2026 की नेट से निकाली गई प्रति सीबीआई द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें सहआरोपी भवानीसिंह मीणा की नियमित जमानत आवेदन वापस लिये जाने से निरस्त की गई है। आवेदकगण के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा विवेचना प्रारंभिक स्तर पर है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण पर आरोपित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आवेदकगण पर आरोपित अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन पत्र कमांक–990/2026 (रूपलाल वि. सीबीआई), कमांक–991/2026 (मुनेश मीणा वि. सीबीआई), कमांक–992/2026 (रवि कुमार मीणा वि. सीबीआई), कमांक–993/2026 (शिवकेश मीणा वि. सीबीआई), कमांक–994/2026 (आलोक कुमार मीणा वि. सीबीआई), कमांक–995/2026 (आशीष कुमार मीणा वि. सीबीआई), कमांक–996/2026 (कुमार निखिल वि. सीबीआई), कमांक–997/2026 (विजय सिंह मीणा वि. सीबीआई), कमांक–998/2026 (सुरेशचंद्र सेनी वि. सीबीआई), कमांक–999/2026 (जितेन्द्र सिंह वि. सीबीआई),

क्रमांक–1000 / 2026 (विमलेश मीणा वि. सीबीआई) अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति केस डायरी के साथ संलग्न कर सीबीआई एसीबी भोपाल को वापस की जाये।

प्रकरण पूर्ववत् दिनांक 28.03.2026 को अभियोग पत्र प्रस्तुति हेतु पेश हो।

RUPAM VEDI

Digitally signed by RUPAM VEDI
Date: 2026.03.24 17:28:26 +0530

सही / –
(रूपम वेदी)
विशेष न्यायाधीश सी.बी.आई.
इंदौर म.प्र.